तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4075/2006/बीकानेर झिणकारी बनाम गणपतराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री ओ.पी. आचार्य, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री बच्छराज कोठारी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–1 के वारिसान की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.09.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–05–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् जवाबदावा प्रस्तुत करने के अवसर को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश न्याय, नियम एवं कानूनी प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण पर नोटिस की कोई तामील नहीं हुई एवं न ही उनकी ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता श्री जयचन्द सारस्वत को नियुक्त किया। उनका कथनहै कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी तरफ से जो जवाबदावा पेश किया वह किसी अन्य के अंगूठा निशान से किया गया। उनका कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में उनके पक्षकार की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र बाबत्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4075/2006/बीकानेर झिणकारी बनाम गणपतराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान करने का प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निगराधीन आदेश से खारिज करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद में जवाबदावा प्रस्तुत किया। उसके उपरान्त मूल वाद में प्रतिवादीगण प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वाद को डिक्री किया। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया, जिसमें प्रतिवादीगण प्रार्थीगण को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में जवाबदावा पेश किया जा चुका था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं निगराधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी मृतक अप्रार्थी संख्या–1 ने विवादित आराजी बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारे का वाद प्रार्थीगण व शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4075/2006/बीकानेर झिणकारी बनाम गणपतराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या– 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री जयचन्द लाल सारस्वत की ओर से वकालतनामा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिस पर उक्त प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर/अगुंठा निशानी है तथा उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13–12–2000 को पेश किया गया। दावे एवं जवाबदावे मय काउन्टर क्लेम के आधार विचारण न्यायालय ने मूल वाद में तनकीयात भी कायम किये। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा में वादी गणपतराम की ओर से प्रस्तुत वाद को निर्णय दिनांक 30–12–2003 से डिक्री कर दिया। इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–10–2005 से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाकर तनकीवार निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद को पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण को साक्ष्य वादी में नियत किया। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान करने का अनुतोष चाहा, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निगराधीन आदेश से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या– 2 से 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम संलग्न है तथा विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात भी कायम की जा चुकी है। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में प्रतिवादी संख्या–4 व 5 प्रार्थीगण को नया जवाबदावा प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4075/2006/बीकानेर झिणकारी बनाम गणपतराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्योंकि प्रार्थीगण की ओर से पूर्व में ही विचारण न्यायालय के समक्ष जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	